-162

(63) 65

न्यायालय-श्री मान राजस्व मंडल ग्वालियर, जिला-ग्वालियर म0प्र0, द्वारा सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

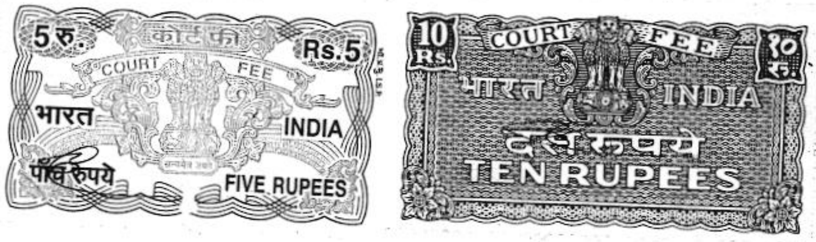

राजकुमार सिंह तनय श्री भागीरथी सिंह चौहान उम्र-65 वर्ष, पेशा-खेती, निवासी ग्राम-बलियार, तह0-चुरहट, जिला-सीधी म0प्र0...... आवेदक

R. 1289-I/12

बनाम

1- जगदीश सिंह उम्र-60 वर्ष,
2- चन्द्रबहादुर सिंह उम्र-57 वर्ष,
3- इन्द्रबहादुर सिंह उम्र-50 वर्ष,

तनय श्री देवराज सिंह चौहान सभी निवासी ग्राम-उत्तरी करौंदिया, नियर गांधीशिशु विद्यालय सीधी, तह0-गोपदबनास, जिला-सीधी म0प्र0 ....अनावेदकगण

अधिवक्ता श्री के.एन. सिंह द्वारा प्रस्तुत
रीवा, दिनांक 17-4-2012
17/4/12

क
2-5-12

निगरानी विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड-चुरहट, तह0-चुरहट, जिला-सीधी म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्रमांक-188/अपील/2011×12, आदेश दिनांक-12.03.2012,

---

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 (1) म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959,

मान्यवर,

प्रार्थी/आवेदक की ओर से अधोलिखित निगरानी आवेदन पत्र सेवार्पित है:---

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

आराजियात खसरा क्रमांक-60, 62, 63, 64, 65, 88, 139/1, 140/1, 141, 144, 145, 147, 149, 150, 151, 165, 166, 169, 184, 187, 188, 192, 193, 194, 208, 209, किता-26 योग रकबा-9.03 हे0 स्थित ग्राम-बलियार तहसील-चुरहट जिला सीधी

(64)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग- 1289 - I/12 जिला - सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	इस प्रकरण में दिनांक 19/7/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी २००३ - चुरहट के प्रकरण क्रमांक 188/अपील/11-12 में पारित आदेश दिनांक 12/03/2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29/4/2019 को कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 6/4/19 सदस्य	